

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारी:- डॉ. अशोक कुमार RAS

धार्मिक एन्यूटी प्रा० पत्र सं० 04/2018

मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ़ तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर जरिये पुजारीगण

1. रमेश चन्द्र पुत्र पुजारी स्व० श्री भगवान सहाय शर्मा, जाति-ब्राम्हण, निवासी-मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ़, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर हालवासी मानस खेडी, तहसील-बस्सी, जिला-जयपुर।
2. राकेश चन्द्र पुत्र पुजारी स्व० श्री भगवान सहाय शर्मा, जाति-ब्राम्हण, निवासी-मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ़, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर हालवासी मानस खेडी, तहसील-बस्सी, जिला-जयपुर।
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र पुजारी स्व० श्री भगवान सहाय शर्मा, जाति-ब्राम्हण, निवासी-मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ़, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर हालवासी मानस खेडी, तहसील-बस्सी, जिला-जयपुर।
4. दुर्गा देवी पत्नी पुजारी स्व० श्री भगवान सहाय शर्मा, जाति-ब्राम्हण, निवासी-मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ़, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर हालवासी मानस खेडी, तहसील-बस्सी, जिला-जयपुर। (दौराने प्रार्थना पत्र फौत)

प्रार्थीगण,

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला-जयपुर।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र पुजारी स्व० श्री भगवान सहाय शर्मा, जाति-ब्राम्हण, निवासी-मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ़, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर हालवासी ग्राम गोपालगढ़, तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर।

अप्रार्थी,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 सपठित राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 बाबत मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ़ के पुजारी स्व० श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा की मृत्यु के पश्चात् एन्यूटी प्राप्त करने हेतु अधिकृत करने बाबत)

उपस्थिति:-

श्री राकेश स्वामी, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
पेरोकार सरकार।



निर्णय

दिनांक : 26.02.2020


प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ़, तहसील-जमवारामगढ़ की पूजा पूर्व में

बतौर पुजारी श्री भगवान सहाय पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा कर रहे थे। दिनांक 17.08.2007 को उनके स्वर्गवास के पश्चात् मंदिर की सेवा पूजा बहैसियत प्रार्थीगण ओसरेवार सेवा पूजा कर रहे हैं। मंदिर श्री जमवा माता के तत्कालीन पुजारी श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा बहैसियत पुजारी रिकार्ड में दर्ज है एवं उनके पक्ष में एन्यूटी राशि प्राप्त करने हेतु प्रपत्र 12 (क) दिनांक 27.09.1977 को व प्रपत्र 12 (ख) दिनांक 14.05.1979 को जारी है। मंदिर जमवा माता की सम्पूर्ण भोग राशि में श्री भगवान सहाय शर्मा का हिस्सा 1/10 अर्थात् 112 रूपये 75 पैसे अपने जीवनकाल में प्राप्त करते थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात् मंदिर की सेवा पूजा ओसरे अनुसार प्रार्थीगण कर रहे हैं। मंदिर की एन्यूटी राशि प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। जबकि मंदिर की सेवा पूजा वे ओसरे अनुसार कर रहे हैं। अतः मंदिर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति) बहैसियत उत्तराधिकारी/पुजारी होने के कारण वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः मंदिर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति) बहैसियत उत्तराधिकारी/पुजारी प्रार्थीगण के पक्ष में जारी करने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जाकर प्रकरण में तहसीलदार, जमवारामगढ़ से मंदिर की सेवा पूजा एवं भोगराग की राशि एन्यूटी पाने का जायज अधिकारी की सूचना प्राप्त की गई तथा प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली मय टिप्पणी के चाही गई एवं नोटिस अन्तर्गत नियम 39(3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954 जारी किया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ़, तहसील-जमवारामगढ़ की पूजा पूर्व में बतौर पुजारी श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा कर रहे थे। जिनका स्वर्गवास दिनांक 17.08.2007 को हो चुका है तथा प्रार्थी सं० 4 दुर्गादेवी पत्नी भगवान सहाय का निधन दिनांक 12.02.2018 को हो चुका है। श्री भगवान सहाय शर्मा के दो पुत्र महेश कुमार शर्मा एवं जितेन्द्र कुमार शर्मा हैं। स्व० श्री भगवान सहाय शर्मा के स्वर्गवास के पश्चात् मंदिर की सेवा पूजा बहैसियत प्रार्थीगण ओसरेवार सेवा पूजा कर रहे हैं। मंदिर श्री जमवा माता के तत्कालीन पुजारी श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा बहैसियत पुजारी रिकार्ड में दर्ज है एवं उनके पक्ष में एन्यूटी राशि प्राप्त करने हेतु प्रपत्र 12 (क) दिनांक 27.09.1977 को व प्रपत्र 12 (ख) दिनांक 14.05.1979 को जारी है। मंदिर जमवा माता की सम्पूर्ण भोग राशि में श्री भगवान सहाय शर्मा का हिस्सा 1/10 अर्थात् 112 रूपये 75 पैसे अपने जीवनकाल में प्राप्त



करते थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात् मृतक भगवान सहाय के दोनो प्रार्थीगण मंदिर की सेवा पूजा ओसरे अनुसार कर रहे है। मंदिर की एन्यूटी राशि प्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नही की गई है। जबकि मंदिर की सेवा पूजा वे ओसरे अनुसार कर रहे है। प्रार्थीगण मृतक भगवान सहाय के उत्तराधिकारी/वारिसान होने के कारण वे एन्यूटी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः मंदिर की एन्यूटी राशि (वार्षिक वृत्ति) बहेसियत उत्तराधिकारी/पूजारी प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश जारी करे।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गई है :-

1. श्री भगवान सहाय पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 17.08.2007 का प्रमाण पत्र।
2. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी स्व० श्री भगवानसहाय की मृत्यु दिनांक 12.02.2018 का मृत्यु प्रमाण पत्र।
3. प्रपत्र 12 ए सं० 997 दिनांक 14.12.1977 एवं प्रपत्र 12 ख क्रमांक 11504 दिनांक 14.05.1979 की प्रतियां।

प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा से प्रकरण से संबंध में मूल पत्रावली प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया था, जिसके संदर्भ में प्रभारी अधिकारी, जागीर शाखा द्वारा पत्रांक जागीर/2018/35 दिनांक 13.04.2018 द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण की मूल पत्रावली उनके कार्यालय/शाखा में उपलब्ध नही है। पत्र के संलग्न धार्मिक रजिस्टर की प्रति प्रेषित की गई। रजिस्टर की प्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि मंदिर जमवा माता जमवारामगढ के दावेदार श्री भगवान सहाय शर्मा है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार, जमवारामगढ से एन्यूटी प्रार्थना पत्र के संबंध में बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गई जिसके संदर्भ में तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा उनके पत्रांक नाजीर/2020/62 दिनांक 24.02.2020 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम जमवारामगढ में जमवा माता मंदिर स्थित है जिसकी सेवा पूजा प्रार्थीगण के पूर्वज पूजारी श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा वगै० करते चले आ रहे है। उनके स्वर्गवास के पश्चात् मंदिर की सेवा पूजा पुजारी भगवान सहाय के वारिस ओसरेवार करते चले आ रहे है। एन्यूटी प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं० 2 में अंकित सजरा सही है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित वारिस सही है। मंदिर एन्यूटी में प्रार्थीगण के पूर्वजों का हिस्सा 1/10 रहा है। प्रार्थीगण के पूर्वज पुजारी भगवान सहाय शर्मा द्वारा एन्यूटी राशि प्राप्त की जा रही थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् एन्यूटी राशि प्राप्त नही की गई है। जमवा माता मंदिर की सेवा पूजा मुताबिक सजरा भगवान सहाय पुजारी



[Handwritten signature]

के वारिसान द्वारा अपने ओसरे अनुसार/हिस्से अनुसार कर रहे है तथा प्रार्थीगण एन्यूटी राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।


पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार, जमवारामगढ से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित बिन्दुओं को सही ठहराते हुए कथन किया कि मृतक भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल शर्मा का निधन दिनांक 17.08.2007 को हो चुका है तथा उनकी पत्नी दुर्गादेवी का निधन दिनांक 12.02.2018 को हो चुका है। पुजारी श्री भगवान सहाय शर्मा का प्रपत्र 12 क व ख में जारी एन्यूटी में हिस्सा 1/10 है। अतः मृतक भगवान सहाय शर्मा के जायज वारिसान/उत्तराधिकारीगण को नियमानुसार उनके हिस्से अनुसार एन्यूटी राशि दिये जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण को एन्यूटी राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों के कथन पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेज की प्रतियों से यह जाहिर है कि पुजारी भगवान सहाय पुत्र शंकरलाल शर्मा का निधन दिनांक 17.08.2007 को हो चुका है तथा उनकी पत्नी दुर्गादेवी का निधन 12.02.2018 को हो चुका है। उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा मंदिर की सेवा पूजा आदि का प्रबन्ध किया जा रहा है। तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार एन्यूटी के संबंध में इस न्यायालय में प्राप्त प्रार्थना पत्र में अंकित सजरा खानदान के अनुसार ही मृतक भगवान सहाय के वारिसान मंदिर जमवा माता की सेवा पूजा ओसरे अनुसार की जा रही है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा नोटिस अन्तर्गत 39 (3) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण नियम, 1954 जारी किया गया था। नोटिस के संबंध में 30 दिवस पश्चात् भी कोई आपत्ति इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः उक्त विवेचनानुसार मंदिर श्री जमवा माता स्थित वाके ग्राम जमवारामगढ, तहसील-जमवारामगढ, जिला-जयपुर की भोगराग के लिए प्राप्त हो रही एन्यूटी राशि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी रमेश चन्द्र, राकेश चन्द्र, राजेन्द्र कुमार एवं जगदीश प्रसाद मुन्ना-पुजारी स्व० श्री भगवान सहाय शर्मा को पूर्वानुसार संयुक्त रूप से एन्यूटी राशि का अधिकारी घोषित किया जाता है।



निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।


26.2.20
(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थी)
जयपुर